

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर 6
नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर

सं० नोएडा/ आ०भू० /2012/
दिनांक.. ..

अन्तिम नोटिस

श्री/श्रीमती.....

.....

.....

.....

**विषय:- भूखण्ड सं०..... ब्लॉक..... सेक्टर में मास्टर प्लान में वर्णित
उपयोग के विरुद्ध उपयोग के सम्बन्ध में ।**

महोदय/महोदया,

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6962/2005 आर०के०मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 5.12.2011, दिनांक 9.1.2012 एवं दिनांक 23.1.2012 के अनुपालन में सभी आबंटी, जो अनुमन्य भू उपयोग के विपरीत अपने परिसर से बैंकिंग अथवा किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां चला रहे हैं, उसे तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें एवं उक्त प्रकार की गतिविधि को अनुमन्य भू उपयोग में स्थानान्तरित कर दें।

स्थल निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त परिसर पर गतिविधि संचालित हो रही है, जो अनुमन्य भू उपयोग एवं पट्टा प्रलेख में वर्णित भू उपयोग के विपरीत है।

कृपया माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त गतिविधि को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा पट्टा प्रलेख का पर्यावसान व अन्य कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

भवदीय

प्रबन्धक/का०अधीक्षक-आ०भू०

प्रतिलिपि:-

प्रबन्धक,..... बैंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रबन्धक/का०अधीक्षक-आ०भू०